भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3232

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने की कार्यनीति

3232. श्रीमती संगीता यादवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में नौ प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें विनिर्माण और सेवाएं भी शामिल हैं, को प्राथमिकता देते हुए 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई गई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए भरपूर अवसर सृजित करना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2047 तक मंत्रालय द्वारा 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए तैयार की गई योजनाओं, रूपरेखा या कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): केंद्रीय बजट 2024-25 में रेखांकित 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यापक रणनीति में 'विनिर्माण और सेवाएं' सहित नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है ताकि सभी के लिए पर्याप्त अवसर सृजित किया जा सकें।

(ख) से (घ): वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना में अवसंरचना का विकास, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रमुख रणनीतिक पहलें और सतत सुधार शामिल हैं।

इस कार्ययोजना की एक प्रमुख पहल है 'मेक इन इंडिया', जिसकी शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाया जा सके। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें मोबाइल और विशेष इलेक्ट्रॉनिक घटक, ड्रग इंटरमीडियरीज और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स सामग्री, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, विशिष्ट इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है।

अन्य पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय शामिल हैं, जो व्यापक रणनीति का अभिन्न भाग भी हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) है। भारत सरकार ने 28,602 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत से एनआईसीडीपी के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, भू-खण्ड स्तर पर 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचना प्रदान करते हुए नए और बढ़ते कार्यबल

के लिए बेहतर जीवनयापन एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद, दीर्घकालिक व स्थायी अवसंरचना प्रदान करके देश में विनिर्माण में निवेश हेतु सुविधा प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेश अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है। एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की एफडीआई नीति में सुधार शुरू किए गए हैं। यह एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है, जो एक सक्रिय नीतिगत फ्रेमवर्क, गतिशील व्यावसायिक परिवेश और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित है।

इस कार्ययोजना में इंजीनियरिंग सामानों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और परिधान, रसायनों, तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के विनिर्माण निर्यात को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। यह सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने, मूल्यवर्धित उत्पादन और निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अलावा, विनिर्माण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने, एमएसएमई की सहायता करने के लिए ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने तथा ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, इस कार्ययोजना में स्मार्ट मैन्यूफैक्चरिंग और उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने और सार्वजनिक

अधिप्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2025-26 में "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को नीतिगत सहायता, कार्यान्वयन रोडमैप, शासनतंत्र और मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें निम्नलिखित पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का अधिदेश है: व्यवसाय करने में सुगमता और उसकी लागत; मांग आधारित रोजगारों के लिए भविष्य के अनुरुप तैयार कार्यबल; ऊर्जावान और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्ता वाले उत्पाद।

सेवा क्षेत्र में रणनीतिक सुधारों का उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों और गिग तथा प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में सफलताओं को बढ़ाकर डिजिटल डिलिवरी को सुदृढ़ करना है। समुद्र संबंधी सेवाओं, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्र, पर्यटन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त कौशल विकसित करने; देश में रोजगार की अपेक्षा करने वालों को बेहतर और स्मार्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एआई/एमएल जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ई-श्रम पोर्टल, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सहायता करने की एक पहल है और यह उन्हें पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों तक पहुंच जैसे लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, एसईजेड अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य, घरेलू बाजारों के साथ बेहतर एकीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है।

यह मंत्रालय विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाई जा रही पहलों और नीतियों की समीक्षा के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग और राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय का कार्य कर रहा है।
